



Neutral Citation No. - 2026:AHC:50149

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 2480/2026

शिव रतन सिंह एवं अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य प्रत्यर्थीगण

याचीगण के अधिवक्ता : मोनिका पाल

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

- वर्तमान रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:- "A. मण्डैमस (परमादेश) की प्रकृति में एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को याची के आवेदन/प्रत्यावेदन दिनांक 11.3.2022 को कानून के अनुसार एक निर्धारित समय के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।"
- दिनांक 10.2.2026 के आदेश के माध्यम से, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया गया था। आज तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने शिकायतों को स्पष्ट करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् उप जिलाधिकारी, बिधूना, जनपद औरैया के समक्ष एक नया आवेदन प्रस्तुत करें और यदि ऐसा आवेदन आज से तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा अगले दो महीनों के भीतर आवश्यक निर्णय लिया जाए।
- उपरोक्त निर्देश के साथ, रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

11 मार्च, 2026

पी.पी.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"